15/5/2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष
सुनवाई पर पेश हुई। वकील प्रार्थी
ने उपस्थित होकर प्रकरण नोट किया
प्रेक्षण करते हुए निवेदन किया है अतः
प्रकरण चलाने नहीं चाहते हैं अतः
प्रकरण नोट प्रेक्षण में खारीज किया होकर
जाता है। पत्रावली फाइल बुस्ता होकर
नाकारा में जमा हो।

15/5/17